भारतीय परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम

डॉ0 दीपा पाठक*

महिलाओं के सन्दर्भ में सशक्तिकरण को उस अस्त्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से वे सदियों से उनके ऊपर थोपे जा रहे अवरोधनों का हनन कर पूरी जागरूकता के साथ स्वयं के, परिवार के एवं समाज के हितार्थ अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। महिला सशक्तिकरण आज के समय की मांग है। यह महिलाओं को स्वतन्त्रता के साथ सोचने और निर्णय लेने की स्वतन्त्रता प्रदान करने के साथ–साथ स्वयं की अन्तर्निहित क्षमताओं का पूर्ण दोहन करने का सामर्थ्य प्रदान करती है।यह एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को स्वतन्त्रता के साथ सोचन, निर्णय लेने और कार्य को नियन्त्रित करने हेतु प्राधिकृत करती है। सशक्तिकरण वास्तव में उन अन्तर्निहित योग्यताओं और क्षमताओं का सशक्तिकरण है जिनके द्वारा ज्ञान, शक्ति और अनुभव का अर्जन किया जाता है। यह किसी व्यक्ति को बहुत हद तक अपनी नियति और परिस्थितियों को भी नियन्त्रित करने के योग्य बनाती है।

मुख्य–शब्द : सशक्तिकरण, अन्तर्निहित योग्यता, क्षमता, स्वतंत्रता।

सशक्तिकरण को एक ऐसे सामाजिक पर्यावरण के रूप में देखा जा सकता है जहाँ एक व्यक्ति निर्णय लेने में अथवा विकल्पों का चयन करने में स्वयं समर्थ हो सकता है और इस तरह से वह स्वयं का अथवा अपने पूरे समूह का हित करते हुए पूरे समाज में बदलाव की लहर ला सकता है। सशक्तिकरण वास्तव में उन अन्तर्निहित योग्यताओं और क्षमताओं का सशक्तिकरण है जिनके द्वारा ज्ञान, शक्ति और अनुभव का अर्जन किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को स्वतन्त्रता के साथ सोचने, निर्णय लेने और कार्य को नियन्त्रित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह किसी व्यक्ति को बहुत हद तक अपनी नियति और परिस्थितियों को भी नियन्त्रित करने के योग्य बनाती है। महिलाओं के सन्दर्भ में सशक्तिकरण को उस अस्त्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से वे सदियों से उनके ऊपर थोपे जा रहे अवरोधनों का हनन कर पूरी जागरूकता के साथ स्वयं के, परिवार के एवं समाज के हितार्थ अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। महिला सशक्तिकरण आज के समय की मांग है। यह महिलाओं को स्वतन्त्रता के साथ सोचने और निर्णय लेने की स्वतन्त्रता प्रदान करने के साथ–साथ स्वयं की अन्तर्निहित क्षमताओं का पूर्ण दोहन करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। **'यूनाइटेड नेशनल डवलपमेन्ट फन्ड फॉर वूमेन'** ने महिलाओं के सशक्तिकरण में निम्नांकित लक्षणों को अनिवार्य बताया –

- महिलाओं में 'आत्म–महत्व' की भावना का विकास करना जिससे वे स्वयं की शक्तियों की पहचान कर सकें और वांछित परिवर्तनों के साथ अपने जीवन को नियन्त्रित करने का अधिकार प्राप्त कर सकें।
- विकल्पों को सृजन और चयन करने की योग्यता प्रदान करना।
- सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की योग्यता का विकास करना।

भारत में महिलाओं के सन्दर्भ में सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग नवीन शिक्षा नीति (1986) में किया गया। इस अध्याय का शीर्षक है – **'महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा।'** इसमें सशक्तिकरण के दो पक्षों पर प्रकाश डाला गया। सशक्तिकरण प्रथम अभिप्राय में 'स्व–रोजगार' है अर्थात महिलाएं अपनी समस्त अन्तर्निहित क्षमताओं के माध्यम से स्वयं को सशक्त करें। ये माध्यम शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य भी हो सकते हैं। अपने दूसरे अभिप्राय में सशक्तिकरण महिलाओं को इस योग्य बनाना है कि वे दूसरों को भी सशक्त बनाने में सहायता कर सकें। महिला सशक्तिकरण का प्रत्यय दुनियाभर के नेताओं और विवेकशील व्यक्तियों के लिए कई दशकों से चिंतन का विषय रहा है। चीन के बीजिंग शहर में 1995 में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में पुरूषों के मुकाबले स्त्रियों को अवसरों और दर्जे की समानता देने की जरूरत पर जोर दिया गया था। स्त्रियों को स्वावलम्बी बनाने तथा अपने

* असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, एन0के0बी0एम0जी0 कालेज, चन्दौसी

मनपसन्द क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण घोषित किया गया।

भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते रहे है। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न वैधानिक आश्वासनों के माध्यम से समाज के इस उपेक्षित वर्ग का जीर्णोद्धार करने का हर संभव प्रयास किया जाता रहा है। भारतीय संविधान में भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए प्रावधान किया गया है कि – ''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। '' नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र अनेक आयोग, समिति, कार्यक्रम, व योजनाएं चलाई गई जिनका वर्षवार विवरण यहाँ दिया गया है–

(1) **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)**–इस आयोग ने सभी सुविधाओं तथा उचित वातावरण प्रदान करने वाले एकमात्र महिलाओं के लिए और कॉलिज स्थापित किये जाने तथा जहाँ अलग कालेज स्थापित करना सम्भव न हो वहाँ सह–शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने की संस्तुति की।

(2) **माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953–54)**–इस आयोग ने महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर गृह–विज्ञान के लिए विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान करने की संस्तुति की।

(3) **राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति (1958)**–भारत सरकार ने श्रीमति दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय नारी–शिक्षा समिति' की स्थापना की। इस समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस समिति का मुख्य कार्य नारी शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देना था।

(4) **हंसा मेहता समिति (1962)**–इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय स्तर पर बालिकाओं से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना था।

(5) **भक्तवत्सलम् कमेटी रिपोर्ट (1963)**–इस कमेटी के अध्यक्ष मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री एम0 भक्तवत्सलम् थे। कमेटी ने नारी शिक्षा के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये है।

(6) **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66)**–नारी शिक्षा की प्रगति के लिए इस आयोग ने 'कमेटी ऑन एजुकेशन फॉर वीमन' की संस्तुतियों को प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य था नर–नारी शिक्षा के बीच की खाई को कम करना। नारी शिक्षा हेतु राज्य व केन्द्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम, योजना तथा सामान्य कार्य योजना को लागू किया।

(7) **राष्ट्रीय शिक्षा–समिति (1970)**–इस समिति का प्रमुख उद्देश्य नारी शिक्षा को प्राथमिकता देना तथा नारी शिक्षा विकास के लिए भारत सरकार से अधिक धनराशि आवंटित कराना एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति कराना आदि है।

(8) **प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978)**–इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 से 35 आयु वर्ग की निरक्षर प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने का कार्य किया गया।

(9) **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (1985)**–'इग्नू' ने महिला विद्यार्थियों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराकर उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाया है। इग्नू द्वारा संचालित पत्राचार शिक्षा के माध्यम से आज महिलाएं घर बैठे अध्ययन कर रही हैं।

(10) **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)**–इस नीति के तहत औपचारिक शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया, जिसमें लड़कियों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 90 प्रतिशत तक की सहायता की व्यवस्था है।

(11) **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988)**–इस मिशन की स्थापना 5 मई, 1988 को हुई। इस मिशन से महिला साक्षरता के कार्य को और गतिशीलता प्राप्त हुई तथा साक्षरता अभियान आरम्भ किये गये। इन साक्षरता अभियानों में 'स्वयंसेवी संगठनों' ने बढ़–चढ़कर भागीदारी का निर्वाह किया। इन अभियानों में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(12) **महिला समाख्या योजना (1989)**–इस योजना द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिससे महिलाएं अपनी ही गति व विधि से ज्ञान एवं जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना हेतु नीदरलैण्ड सरकार से निधि प्राप्त होती है।

(13) **आचार्य राममूर्ति समिति (1990)**–इस समिति का उद्देश्य महिलाओं हेतु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों की स्थापना करना तथा योग्य छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना रहा है।

(14) **संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार विषयक सहमति पत्र (1992)**– संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार विषयक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत सरकार शिक्षा को 6 से 14 आयु वर्ग लड़के–लड़कियों का मूलभूत अधिकार मान चुकी है। सरकार ने 6 से 14 साल तक के लड़के–लड़कियो को प्राथमिक शिक्षा का बुनियादी अधिकार देने जो विधेयक तैयार किया है उसमें लड़कियों की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है, इसमें विशषकर अनुसूचित जाति/ जनजाति की महिलाओं की निरक्षता की दर घटाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

(15) **संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992)**–इस नीति की कार्य योजना में प्राथमिक शिक्षा की समस्या को मूलतः बालिकाओं की समस्या माना गया है और शिक्षा के सभी स्तरों पर विशेषकर विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य तथा व्यावसायिक विषयों में जिनमें लड़कियों की योग्यता को बहुत कम करके आँका जाता है, लड़कियों के नामांकन में वृद्धि पर बल दिया गया। इस नीति में माध्यमिक शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए उनके व्यावसायीकरण पर भी जोर दिया गया ताकि माध्यमिक स्तर पर महिलाओं का आकर्षण बढ़ें।

(16) **वृहद् राष्ट्रीय कार्यक्रम (1994)**–15 अगस्त, सन् 1994 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी0वी0 नरसिंह राव ने एक वृहद् राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें जवाहर नवोदय योजना (J.R.Y.) रोजगार बीमा योजना (E.M.S.) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P) तथा स्वःरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण (ट्राइसेम) जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन माता–पिताओं को रोजगार देने की बात कही गयी। जिनके लड़के–लड़कियां खतरनाक उद्योगों में कार्य करते हैं ताकि वे अपने लड़के–लड़कियों को श्रम के लिए बाध्य न करें और उन्हे स्कूल भेज सकें।

(17) **बालिका संरक्षण योजना (1996)**–आंध्रप्रदेश सरकार ने बालिका संरक्षण योजना प्रारम्भ की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम से कम माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना तथा 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह सुनिश्चित करना है।

(18) **उच्चतम न्यायालय का निर्णय (1996)**–10 दिसम्बर 1996 को उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका पर्यावरणवादी वकील एस0सी0 मेहता द्वारा दायर की गई, जिसमें खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों, चाहे वे लड़के हों या लड़कियाँ पर रोक लगा दी गयी। गैर खतरनाक उद्योगों में कार्यरत लड़के–लड़कियों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गये और उनकी शिक्षा पर जोर गया।

(19) **बालिका समृद्धि योजना (1997)**– विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन और उन्हें बनाए रखने जैसे उद्देश्यों को लेकर 2 अक्टूबर सन् 1997 को बालिका समृद्धि योजना को आरम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एक परिवार में (15 अगस्त 1997) को तथा उसके पश्चात पैदा होने वाली बालिकाओं की माताओं को बालिका के विद्यालय जाने पर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 500 रूपये का अनुदान दिया जाता है।

(20) **माँ बेटी सम्मेलन योजना (2002)**–खरगौन की कलेक्टर श्रीमति अलका उपाध्याय द्वारा मां बेटी सम्मेलन योजना शुरू की गई। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आरम्भ की गई इस योजना की मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सराहनीय कदम की प्रशंसा की और कहा कि प्रत्येक जिले में इस तरह की योजना आरम्भ की जानी चाहिए। महिला दिवस 8 मार्च 2002 को मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को पूर्णतः साक्षर बनाने के लिए 'पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन' की शुरूआत की। इस योजना के तहत महिलाएं खुद गुरू जी का चयन करेंगी तथा गुरू जी द्वारा एक महिला को साक्षर बनाने पर सौ रूपये पारिश्रमिक मिलेगा। यह योजना 'महिला दिवस' 2002 से आरम्भ हुई। लेकिन खारगौन की कलेक्टर श्रीमति उपाध्याय ने एक वर्ष पूर्व ही जिले में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए जगह–जगह मां बेटी सम्मेलन आयोजित कराया। इसका उद्देश्य लड़कियों को अधिक से अधिक स्कूल भेजकर उन्हें पढ़ने–लिखने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(21) **साथिन योजना**–ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा साथिन नामक योजना भी चलाई जा रही है।

(22) **महिला प्रौढ़ केन्द्र**–उत्तर प्रदेश में महिला प्रौढ़ केन्द्रों की योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से कुछ जनपदों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा योजना भी चलाई जा रही है।

(23) **नवोदय व केन्द्रीय विद्यालय**–इनमें 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में एक तिहाई लड़कियां हों।

(24) **नारी अध्ययन केन्द्र तथा सेल**–नारी की उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए महिला अध्ययन केन्द्र तथा सेल स्थापित करने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(25) **अनुंसधान एसोसियेट**–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिला उम्मीदवारों के लिए अंश कालिक अनुसंधान एसोसियेट के पद बनाए गए है।

(26) **विमेन्स इंटिग्रेटिड लर्निंग फार लाइफ योजना**–इस योजना का मुख्य उद्देश्य निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाना हैं, नवसाक्षर महिलाओं की शिक्षा के प्रति रूचि बनाए रखने के लिए वाचनालय खोलना तथा महिलाओं की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु रोजमर्रा की जिन्दगी को सही ढंग से चलाना और बच्चों के समुचित विकास में महिलाओं की जानकारी बढ़ाना है।

(27) **स्वास्थ्य सखी योजना**–उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के चुनिन्दा जिलों में यह योजना प्रारम्भ करने का निर्णय किया है। इसके तहत आठवीं कक्षा तक पढ़ी–लिखी 18 से 35 वर्ष आयु की अनुसूचित जाति की महिलाओं को 'मिड वाइफ' के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं चयनित महिलाओं को 500 रूपये प्रति माह का भत्ता प्रदान किया जाएगा।

(28) **कामधेनु योजना**– महाराष्ट्र में प्रचलित इस योजना के तहत विकलांग, परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को स्वःरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (I.T.I) में प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षा में लड़कियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की भी व्यवस्था है।

उपर्युक्त सभी समितियों, योजनाओं एवं आयोगों ने नारी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। परन्तु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। भले ही आज की भारतीय नारी हमें शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त व स्वलम्बी नजर आती है तथापि यह सब दृष्टिभ्रम ही है। नारी शिक्षा का इतना विकास होने के बावजूद भी आज हमारी सरकार को नारी सशक्तिकरण एवं नारी शिक्षा के विकास हेतु और अधिक प्रयास करने होगें। वस्तुतः शिक्षा ही एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो महिलाओं की इस बिगड़ती दशा में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सक्षम है। इसी कसौटी पर आज की शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। नई प्रणाली को हुनर शिक्षा व आर्थिक उत्पादनशीलता के लिए अभिमुख होना पड़ेगा। शिक्षा ऐसी हो जो महिलाओं मे जिज्ञासा भरे और उनमें ज्ञान की लालसा उत्पन्न कर दे। अतः महिला सशक्तिकरण के प्रयास में सर्वोपरि है– महिलाओं में अपने अधिकारों व अवसरों के प्रति जागृति लाना और शिक्षा को सशक्तिकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में प्रयुक्त करना।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. प्रभा आप्टे, ''भारतीय समाज में नारी'', प्रकाशक क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1998
2. हरेन्द्र राज गौतम–महिला अधिकार संरक्षण, कुरूक्षेत्र, मार्च 2005, पृ0 8
3. एस0पी0 अग्रवाल (2001): वूमेन्स एजूकेशन इन इन्डिया–प्रजेन्ट स्टेटस परस्पैक्टिव, प्लान, स्टैटिस्टिकल इन्डीकेटरस विद् ग्लोबल व्यू, वॉल्यूम III, कौन्सेप्ट पब्लिकेशन कम्पनी न्यू देहली
4. एन0 एल0 गुप्ता (2003) : वूमेन्स एजूकेशन थ्रू एजिज, कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन्स कम्पनी, न्यू देहली
5. अस्तु सारस्वत – महिला अधिकारिता : एक विश्लेषण, योजना अक्टूबर 2006
6. वार्षिक रिपोर्ट (2004–05) राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली, पृ0 153
7. करण बहादुर सिंह – महिला अधिकार एवं सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मार्च 2006